राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 15045/2019

हेमराज पुत्र श्री भगवाना राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मु.पो. कोरचिडा, तहसील एवं जिला सीकर वर्तमान में पदस्थ एस.एच.ओ. पुलिस थाना चाकसू, जयपुर दक्षिण

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, सरकार के माध्यम से, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (अपील), गृह (समूह-11) विभाग, भारत सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, पुलिस, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री अजीत भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ श्री नमो नारायण शर्मा, अधिवक्ता एवं श्री बनवारी लाल शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री राजेश महर्षि, एएजी श्री उदित के साथ शर्मा, सलाहकार

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

रिपोर्टेबल

24/01/2023

1. याचिकाकर्ता द्वारा यह रिट याचिका दायर की गई है जिसमें निंदा दंड के आदेश दिनांक 26.07.2014, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की विभागीय अपील को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 05.06.2015 और समीक्षाकर्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2011 में पुलिस चौकी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में उप-निरीक्षक के रूप में तैनात था।

3. याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (इसके बाद 'सीसीए नियम, 1958' के रूप में पढ़ा गया) के नियम 17 के तहत जारी एक आरोप-पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें उसके खिलाफ तीन आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप नीचे दिए गए हैं:-

"**आरोप संख्या 1:-**

प्रत्यर्थी श्री सूरज नारायण ओझा पुत्र श्री बंशी लाल ओझा निवासी कावा का खेड़ा थाना कोतवाली भीलवाड़ा के घर में दिनांक 23.08.2011 की रात्रि को चोरी होने की सूचना थानाधिकारी कोतवाली भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 24.08.2011 को सुबह आपको दी गई। इस सूचना पर आप घटना स्थल पर गये, निरीक्षण घटना स्थल किया। प्रत्यर्थी द्वारा आपको मौके पर घटना की रिपोर्ट पेश की गई तो आपने रिपोर्ट थाना कोतवाली पर देने को कहा, जबकि रिपोर्ट पर आपको कार्यवाही पुलिस लिखकर अभियोग पंजिबद्ध कराना चाहिए था जो आप द्वारा नहीं किया गया।

आरोप संख्या 2:-

प्रत्यर्थी श्री सूरज नारायण द्वारा चोरी की रिपोर्ट थाना कोतवाली पर दिनांक 24.08.2011 को पेश की गई। रिपोर्ट पर दिनांक 25.08.2011 को डी.ओ. श्री इकबाल हुसैन स.उ.नि. द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित की जाकर रिपोर्ट आपके पास चौकी शास्त्री नगर भेजी गई। कार्यवाही पुलिस में अनुसंधान श्री शिवराज सिंह, स.उ.नि. के जिम्मे किया गया था, परन्तु एफ.आई.आर में अभियोग संख्या अंकित नहीं थी आपने अभियोग संख्या अंकित कराने हेतु उक्त एफ.आई.आर. को थाना कोतवाली भीलवाड़ा नहीं भिजवाया ना ही यह ज्ञात किया कि अभियोग दर्ज हो गया या नहीं जबकि यह आपके क्षेत्र की घटना थी तथा आपको अभियोग दर्ज कराना चाहिये था,

आरोप संख्या 3:-

उक्त प्रत्यर्थी श्री सूरज नारायण ओझा के पुत्र श्री भगवती लाल द्वारा दिनांक 26.08.2011 को उक्त चोरी के मामले में शीघ्र कार्यवाही

करने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा के कार्यालय में उपस्थित होकर परिवाद पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को पेश किया गया जो जरिए पत्रांक 23913 दिनांक 26.08.2011 को थाना कोतवाली भीलवाड़ा भेजा गया। परिवाद थाना कोतवाली भीलवाड़ा के परिवाद रजिस्टर में पार्ट द्वितीय क्रमाँक 288 दिनांक 26.08.2011 को दर्ज किया जाकर जांच हेतु आपके पास पुलिस चौकी शास्त्री नगर भेजा गया। यह परिवाद प्राप्त होने पर भी आने उक्त संबंध में अभियोग पंजिबद्ध नहीं कराया। जिस पर प्रत्यर्थी ने घटना के सम्बन्ध में न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जो धारा 156(3) भा.दं.स. प्राप्त थाना होने पर अभियोग संख्या 573/2011 धारा 457, 380 भा.दं.सं. दिनांक 17. 11.2011 को पंजिबद्ध किया गया। यह अभियोग घटना के 3 माह देरी से पंजिबद्ध हुआ आपके उक्त कृत्य के कारण प्रत्यर्थी के उच्चाधिकारियों के समक्ष परिवाद पेश करने को अवसर मिला। जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई।"

4. याचिकाकर्ता ने आरोप-पत्र प्राप्त होने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपना उत्तर दायर किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप संख्या 1 में लगाया गया आरोप बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि घटना शिकायतकर्ता सूरज के आवास पर हुई चोरी से संबंधित थी। नारायण ओझा के साथ यह घटना कथित तौर पर 23.08.2011 को हुई थी और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को थानेदार, पुलिस स्टेशन कोतवाली, भीलवाड़ा द्वारा 24.08.2011 को दी गई थी।

5. याचिकाकर्ता ने बताया कि आरोप संख्या 1 वास्तव में संबंधित थानेदार द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने के लिए था और याचिकाकर्ता की एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई भूमिका नहीं थी।

6. अभियोग संख्या 2 के संबंध में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया था कि चोरी की घटना से संबंधित रिपोर्ट 24.08.2011 को शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन कोतवाली, भीलवाड़ा में दर्ज कराई गई थी और आगे की जांच अधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक थी। कौन जिम्मेदार थे और याचिकाकर्ता ने थानेदार द्वारा निर्देश दिए जाने पर घटना स्थल पर

जाकर अपना कर्तव्य निभाया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं था यदि शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर, थानेदार या अन्य व्यक्ति, जो को जांच का जिम्मा सौंपा गया, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।

7. याचिकाकर्ता ने आरोप संख्या 3 के उत्तर में अपना स्पष्टीकरण भी दिया कि जांच करने के लिए थानेदार के साथ-साथ अन्य पुलिस अधिकारी को जो कर्तव्य सौंपा गया था, वह उनके द्वारा नहीं किया गया था और धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार 154(1) सीआरपीसी, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अकेले ही एफ.आई.आर. दर्ज कर सकता था और चूंकि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर थानेदार के रूप में तैनात नहीं था, इसलिए किसी भी कदाचार में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद मामला दर्ज करना, क्योंकि मामला शिकायत के माध्यम से पारित किया गया था और मामला 17.11.2011 को दर्ज किया गया था और यदि मामला दर्ज करने में कोई देरी हुई थी, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से ऐसी घटना से जुड़ा नहीं था और पुलिस की छवि को धूमिल करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

8. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके द्वारा उत्तर दायर करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर पर विचार किए बिना, बिना सोचे समझे यांत्रिक तरीके से, दिनांक 26.07.2014 को आक्षेपित आदेश पारित कर दिया।

9. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को एफ.आई.आर. दर्ज न करने और उच्च अधिकारियों को जानकारी न देने का दोषी पाया है और ये निष्कर्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप के अभाव में थे और इस तरह अनुशासनात्मक प्राधिकारी याचिकाकर्ता पर लगाया गया आरोप के इतर गए।

10. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि जुर्माना आदेश पारित होने के बाद, उसने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई विभिन्न दलीलों और बिंदुवार आपत्तियों को नोट कर लिया है अर्थात अपील पर निर्णय लेते समय अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश में लगभग 8 दलीलें नोट की थीं, हालांकि, याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई है। सरसरी तौर पर निर्णय लिया गया और अपीलीय प्राधिकारी ने फिर से निष्कर्ष दोहराया कि

याचिकाकर्ता ने न तो एफ.आई.आर. दर्ज कराने का कोई प्रयास किया और न ही घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया।

11. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अपील खारिज होने के बाद, उसने समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की और उसे भी दिनांक 27.09.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि समीक्षा करने वाले प्राधिकारी ने हालांकि एक निष्कर्ष दर्ज किया था जो प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया गया था जहां अकेले याचिकाकर्ता को देरी से एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया था, हालांकि, प्रशासनिक विभाग द्वारा संबंधित थानेदार के दायित्व को भी उजागर किया गया था।

12. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि समीक्षा प्राधिकारी ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि अन्य सह-अपराधी अर्थात संबंधित पुलिस स्टेशन के थानेदार को निंदा के साथ दंडित किया गया था, हालांकि, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों की बेगुनाही सिद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा।

13. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत भंडारी, जिनकी सहायता श्री नमो नारायण शर्मा ने की, ने दिए गए आक्षेपित आदेशों की आलोचना करते हुए निम्नलिखित दलीलें दीं:-

13.1. याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप स्वयं विरोधाभासी हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए पहले आरोप में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि चोरी की जानकारी याचिकाकर्ता को थानेदार द्वारा दी गई थी और उसी समय, आरोप यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को रिपोर्ट सौंपी गई थी।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप संख्या 1 के अवलोकन से यह आरोप बनता है कि चोरी के संबंध में जानकारी याचिकाकर्ता को थानेदार द्वारा दी गई थी और आपराधिक मामला अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने कोई प्रयास नहीं किया और जो घटना घटी थी, उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कराना उसका कर्तव्य था।

13.2. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाने का आधार बिना किसी आधार के था और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का कोई आरोप नहीं था।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करने की जिम्मेदारी उनकी है। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अर्थात थानेदार पर है और इस तरह याचिकाकर्ता को एफ.आई.आर. दर्ज न करने के आरोप की चार्जशीट भी जारी नहीं की जा सकती थी।

13.3. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 भी धारा 31 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर संज्ञेय अपराध की एफ.आई.आर. दर्ज करने का कर्तव्य रखता है, जिस क्षण उसे ऐसी सूचना मिलती है।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों ने एफ.आई.आर. दर्ज करने से संबंधित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा और इस तरह आरोप-पत्र जारी करने के प्रारंभिक चरण में भी दिमाग का पूरी तरह से गैर-प्रयोग किया गया।

13.4. सजा देने में याचिकाकर्ता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है और अन्य सह-अपराधी अर्थात थानेदार को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा छोड़ दिया गया है और ऐसे अन्य सह-अपराधी पर लगाए गए सेंसर की सजा को क्लीन-चिट दे दी गई है। अपीलीय प्राधिकारी और इस तरह विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के दावे को सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर दिनांक 19.02.2019 (अनुलग्नक 15) का एक आदेश रखा है कि अन्य व्यक्ति, जो मुख्य रूप से एफ.आई.आर. दर्ज न करने के लिए जिम्मेदार था, को छोड़ दिया गया है और इसके विपरीत, याची को भगोड़ा बना दिया गया है।

13.5. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्य सह-अपराधी अर्थात् इकबाल हुसैन को हालांकि, निंदा के दंड से दंडित किया गया है, ऐसे सह-अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से अलग थे और ऐसे में याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अन्य सह-अपराधी जिन्हें विभागीय कार्यवाही में अधिकारियों द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

13.6. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं और कोई भी उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कथित कदाचार, कदाचार की ओर ले जाएगा और आगे ऐसे आरोपों पर कोई सजा नहीं दी जा सकती है, जो कि प्रथम दृष्टया कोई कदाचार नहीं बनता।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. **पंजाब राज्य और अन्य। बनाम डॉ.राम किशन चोपड़ा, पी.सी. एमएस 1977 (2) एसएलआर 809** में प्रकाशित;

2. एसएल सेठिया बनाम. राजस्थान राज्य एवं अन्य 1993 (1) डब्ल्यूएलसी 18 में प्रकाशित;

3. नारायण सिंह राणावत बनाम. राजस्थान राज्य एवं अन्य 1992 (3) डब्लूएलसी 465 में प्रकाशित;

4. भारत संघ बनाम. राम भरोसे लाल ने 1987 (आई) आरएलआर 826 में प्रकाशित;

5. राम चंदर बनाम. भारत संघ एवं अन्य एआईआर 1986 एससी 1173 में प्रकाशित;

6. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 458/2020 (अरविंद बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य) दिनांक 07.01.2022 को निर्णय लिया गया।

15. **इसके विपरीत,** प्रत्यर्थी-राज्य श्री राजेश महर्षि, एएजी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:-

15.1. याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप बहुत विशिष्ट था क्योंकि याचिकाकर्ता एक चौकी का प्रभारी था, अगर उसे कथित घटना के बारे में शिकायतकर्ता से जानकारी मिली थी, तो याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह प्रभारी को सूचित करके एफ.आई.आर. दर्ज कराए। पुलिस स्टेशन कोतवाली पर और इस तरह, याचिकाकर्ता पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था।

15.2. आरोप-पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने न केवल याचिकाकर्ता पर एफ.आई.आर. दर्ज न करने का दायित्व तय किया है, बल्कि प्राधिकारियों को सूचित न करने में याचिकाकर्ता की ओर से कर्तव्य में लापरवाही भी पाई है, जो आरोप का मुख्य सार है।

15.3. अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी ने उन सभी मुद्दों पर विचार किया है, जो अपराधी-याचिकाकर्ता द्वारा उनके सामने उठाए

गए हैं और यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कर्तव्यों के उल्लंघन के बारे में निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, तो यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भारत, अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

15.4. याचिकाकर्ता द्वारा अन्य सह-अपराधी अर्थात थानेदार के साथ समानता का दावा किया गया है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है, क्योंकि थानेदार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त ऐसे पत्र पर कोई कार्यवाही न करने का आरोप दिनांक 26.08.2021 के पत्र के संबंध में था, जहां इस तरह के अपराधी का आरोप लगाया गया था।

अन्य सह-अपराधी के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि ऐसा पत्र थानेदार के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया था और किसी भी सामग्री के अभाव में, अन्य सह-अपराधी को कोई सजा नहीं दी गई थी।

15.5. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्य सह-अपराधी इकबाल हुसैन को भी निंदा के दंड से दंडित किया गया है और इस तरह याचिकाकर्ता का मामला एक अकेला मामला नहीं है, जब अन्य सह-अपराधी को कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ दंडित किया गया है। दंडित किया गया, याचिकाकर्ता को भी उसी तरीके से दंडित किया जाना चाहिए।

15.6. अनुशासनात्मक प्राधिकारी सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती है, क्योंकि उन्होंने याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायत के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया था।

माना जाता है कि याचिकाकर्ता उस पुलिस चौकी के प्रभारी के रूप में तैनात था जिसके तहत चोरी की कथित घटना हुई थी और याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह उस रिपोर्ट या सूचना का संज्ञान ले, जो उसे दी गई थी और वह ऐसा नहीं कर सकता था। शिकायतकर्ता को निर्देश दिया कि वह पहले एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाए और याचिकाकर्ता का यह कठिन कर्तव्य था कि वह संज्ञान ले या संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त करे और फिर तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए उचित कदम उठाए।

15.7. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा का दायरा समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कम कर दिया गया है और ऐसे में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं:-

1. **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राजित सिंह ने AIR 2022 SC 1551** में प्रकाशित;

2. **अनिल कुमार उपाध्याय बनाम महानिदेशक एसएसबी एवं अन्य। एआईआर 2022 एससी 2008** में प्रकाशित;

3. **भारत संघ (यूओआई) और अन्य बनाम सुब्रत नाथ (सिविल अपील क्रमांक 7941-7942/2022)** का निर्णय **23.11.2022 को हुआ।**

इन निर्णयों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मामला किसी भी मानदंड में नहीं आता है जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

15.8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कानून में नकारात्मक समानता की अनुमति नहीं है और इस तरह भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि अन्य सह-अपराधी अर्थात थानेदार को उसके खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों से बरी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के मामले को अन्य सह-अपराधी इकबाल हुसैन के मामले के समान माना जाना आवश्यक है, जिसे दंडित किया गया है।

16. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

17. यह न्यायालय वर्तमान मामले में निम्नलिखित तथ्यों को निर्विवाद पाता है:-

17.1. प्रत्यर्थी-सूर्य नारायण ओझा ने उक्त घटना की सूचना दिनांक 24.08.2011 को देकर चोरी की घटना दिनांक 23.08.2011 को घटित होना बताया था।

17.2. याचिकाकर्ता की पोस्टिंग पुलिस थाना कोतवाली में न होकर पुलिस चौकी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में थी।

17.3. प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 24.08.2011 को थाना कोतवाली, भीलवाड़ा के थानेदार को लिखित रिपोर्ट दी गई थी और ऐसी रिपोर्ट सुबह 8:30 बजे प्राप्त होने का अनुमोदन किया गया था।

17.4. पुलिस स्टेशन, कोतवाली में मौजूद व्यक्ति ने यह भी स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के परिणामस्वरूप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई और केवल कार्यवाही अर्थात (कार्यवाही पुलिस) दर्ज की गई, उसने दर्ज किया कि शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी और तदनुसार मामला दर्ज किया गया था की जांच की जानी थी और एक व्यक्ति-शिव राज को जांच करने का यह कर्तव्य सौंपा गया था।

17.5. याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप से पता चलता है कि शिकायत सबसे पहले थानेदार, पुलिस स्टेशन कोतवाली, भीलवाड़ा को मिली थी और इसे याचिकाकर्ता को भी भेजा गया था और याचिकाकर्ता साइट पर भी गया था।

18. इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील में दम नजर आया कि आरोप संख्या 1 के अवलोकन से पता चलता है कि कथित घटना से संबंधित जानकारी याचिकाकर्ता को थानेदार पुलिस स्टेशन कोतवाली, भीलवाड़ा द्वारा दी गई थी और तदनुसार याचिकाकर्ता ने उस स्थान पर भी गए, जहां कथित घटना हुई थी।

19. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में भी दम पाया कि सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करने की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की थी और इसके अलावा राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 के तहत निहित प्रावधान, संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर भी कर्तव्य डालता है, उसे ऐसी जानकारी दर्ज करनी होगी।

20. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य यह दर्शाते हैं कि दिनांक 24.08.2011 को फरियादी स्वयं पुलिस थाने गया तथा उसकी लिखित शिकायत पुलिस थाना कोतवाली में ली गयी।

21. इस न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखने के बाद पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी गलत निष्कर्ष पर पहुंचे कि एफ.आई.आर. दर्ज न कराने में याचिकाकर्ता की भूमिका थी और इसके अलावा उच्च अधिकारियों को घटना

की जानकारी न देना किसी भी साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है।

22. इस न्यायालय ने पाया कि विभाग की ओर से यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने कथित घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करने की कोई कार्रवाई नहीं की, जो उसे चोरी होने के संबंध में प्राप्त हुई थी।

23. इस न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने मान्यताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता की भूमिका ने अवैधता कायम रखी और कर्तव्य में लापरवाही दिखाई, जो अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया था और इस प्रकार अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष सही, किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और इसे विकृत निष्कर्ष के रूप में माना जाना आवश्यक है।

24. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलील कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप एफ.आई.आर. दर्ज न करने के संबंध में थे, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप संख्या 1 को पढ़ने से पता चलता है कि एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन कोतवाली, भीलवाड़ा को सूचना मिल गई थी और उन्होंने याचिकाकर्ता को साइट पर जाने का निर्देश दिया और इस तरह यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से जिम्मेदार था यदि अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जो कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत थे। ऐसी सूचना मिलने पर तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाई करें।

25. इस न्यायालय का यह कहना किसी भी तरह से नहीं है कि याचिकाकर्ता का कर्तव्य उसे प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना नहीं था, हालांकि, किसी भी अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने या देर से कोई कार्रवाई करने की भूमिका, याचिकाकर्ता से पुलिस चौकी, भीलवाड़ा में उसकी ड्यूटी के मद्देनजर पूछताछ की जाएगी।

26. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति कि अन्य सह-अपराधी अर्थात थानेदार पर अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने 26.08.2011 को उनके द्वारा प्राप्त पत्र पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त निर्देशों पर कार्रवाई नहीं की थी। इस न्यायालय ने पाया कि यदि प्रथम दृष्टया एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को छोड़ दिया गया है तो ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को सजा नहीं दी जा सकती थी।

27. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति कि **उत्तर प्रदेश राज्य और बनाम**

राजित सिंह (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाया है कि भले ही घटना में शामिल कुछ अधिकारियों को बरी कर दिया गया हो, फिर भी अन्य अपराधी को लाभ नहीं दिया जा सकता है यदि उनके खिलाफ विभागीय जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं और ऐसे में नकारात्मक समानता का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। मामलों में, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, 3 व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी किए गए थे या मेमो जारी किए गए थे और जो व्यक्ति एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था अर्थात कि थानेदार, उसे अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा छोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति अर्थात इकबाल हुसैन को निंदा के दंड से दंडित किया गया है, इस न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी सजा देते समय मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।

28. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि नकारात्मक समानता का दावा अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है, हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों की न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए और यदि आरोप एक ही घटना या श्रृंखला के संबंध में हैं आरोपों के परिणामस्वरूप अलग-अलग व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी किया जाता है, उन्हें कदाचार करने की भूमिका सौंपी जाती है, तो इस न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या अधिकारियों ने ऐसे अधिकारियों की दोषीता के संबंध में मुद्दे पर उचित तरीके से विचार किया है या नहीं।

29. वर्तमान मामले और कानून के तथ्यों की जांच करने के लिए, इस न्यायालय के **भारत संघ बनाम सुब्रत नाथ** (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है। वर्तमान मामले में लागू, निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित समझता है:-

> "19. व्यापक मापदंडों को निर्धारित करते हुए, जिसके तहत उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामलों में, भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय की खंडपीठ। वी. पी. गुणसेकरन मनु/एससी/1068/2014: (2015) 2 एससीसी 610 इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:
>
> 12. सुस्थापित स्थिति के बावजूद, यह देखना बेहद परेशान करने वाला है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है, यहां तक कि जांच अधिकारी के समक्ष

साक्ष्य की भी सराहना की है। आरोप I पर निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील की दूसरी न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और न ही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का जोखिम नहीं उठाएगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:

(क) जांच एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है;

(ख) जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है;

(ग) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है;

(घ) अधिकारियों ने मामले के साक्ष्य और गुणों से परे कुछ विचारों के कारण खुद को निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचने से अक्षम कर दिया है;

(ङ) अधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या असंगत विचारों से प्रभावित होने दिया है;

(च) यह निष्कर्ष, प्रथम दृष्टया, इतना मनमाना और मनमौजी है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है;

(छ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य स्वीकार करने में विफल रहा था;

(ज) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य स्वीकार कर लिया था जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया;

(झ) तथ्य की खोज बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय यह नहीं करेगा:

(i) साक्ष्य की पुनः सराहना करना;

(ii) यदि जांच कानून के अनुसार की गई हो तो उसके निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना;

(iii) साक्ष्य की पर्याप्तता पर गौर करना;

(iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गौर करना;

(v) हस्तक्षेप करें, यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हों जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं।

(vi) तथ्य की त्रुटि को सुधारें चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न लगे;

(vii) सज़ा की आनुपातिकता पर ध्यान दें जब तक कि इससे उसकी अंतरात्मा को झटका न लगे।"

30. इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कानून भी बनाया है कि उच्च न्यायालय यह देख सकता है कि क्या निष्कर्ष, प्रथम दृष्टया पूरी तरह से मनमाना है और कोई भी उचित व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच कर सकता है।

31. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेगा क्योंकि प्राधिकारियों ने पहले ही अपना दिमाग लगा दिया है और अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी ने भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की जांच की है।

32. इस न्यायालय का मानना है कि यदि आरोप का मूल आधार नहीं बनाया गया है, क्योंकि एफ.आई.आर. दर्ज करने की जिम्मेदारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत और राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत एक विशेष व्यक्ति को सौंपी गई है और यदि ऐसा हुआ है किसी भी कारण से एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी, जिस व्यक्ति को शिकायतकर्ता से जानकारी प्राप्त हुई है, उसे पुलिस चौकी के प्रभारी के रूप में प्राप्त जानकारी के बावजूद इस तरह के कदाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन अंततः ऐसे संबंधित व्यक्ति द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई।

33. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित तरीके से कर्तव्य का निर्वहन न करने में लापरवाही के संबंध में आपत्ति उठाई गई, क्योंकि याचिकाकर्ता से पुलिस स्टेशन जाने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा संपर्क किया गया था और प्रत्यर्थियों का कहना यह है कि शिकायतकर्ता कथित घटना के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले याचिकाकर्ता के पास गया था क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता था और इस तरह याचिकाकर्ता भी अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, शिकायतकर्ता न केवल पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था बल्कि उसे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी जाना पड़ा था और उसके बाद भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी और फिर शिकायत दर्ज करने और धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत मामला भेजने पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। बहुत देर से,

नवंबर, 2011 के महीने में पंजीकृत किया गया था।

34. यह इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि ये लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी शिकायतकर्ता, यदि वह पुलिस अधिकारियों के पास जाता है, तो उनके द्वारा प्राप्त शिकायत या जानकारी पर ध्यान देना उनका परम कर्तव्य है और उन व्यक्तियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जानी आवश्यक है, जिन्हें ऐसे वैधानिक कर्तव्य सौंपे गए हैं।

35. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति-श्री राजेश महर्षि, एएजी कि अन्य सह-अपराधी इकबाल हुसैन, जिसे आरोप-पत्र जारी किया गया था, क्योंकि वह भी प्राप्त जानकारी के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा था। इस न्यायालय ने पाया कि सह-अपराधी के खिलाफ एक विशिष्ट आरोप है कि शिकायतकर्ता ने 25.08.2011 को पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराधी से मुलाकात की थी और दोषी कर्मचारी ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें एफ.आई.आर. संख्या नहीं दिया था और उन्होंने वर्तमान अपराधी को एफ.आई.आर. दर्ज किए बिना केवल एक रिपोर्ट भेजी थी।

36. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने ऐसे अन्य सह-अपराधी के खिलाफ विशिष्ट आरोप पर विचार करते हुए उसे दंडित किया है, हालांकि, याचिकाकर्ता की भूमिका, जो सौंपी गई है और जो आरोप उसके खिलाफ लगाया गया है, उसे बराबर नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार ऐसे में याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता।

37. इस न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.07.2014, 05.06.2015 और 27.09.2016 को पारित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं और उन्हें रद्द कर दिया गया है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इन आदेशों को रद्द करने पर याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ दिए जाएं।

तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Monika/14

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया

गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।